

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2012/डी-2219

दिनांक:- 07/11/201

कार्यवाही विवरण

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 124वीं बैठक दिनांक 30.10.2012 को प्रातः 11.15 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1	124.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 123वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 123वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2	124.2	पुर्नगठित भूखण्ड ई-9 व ई-10, मौजी कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर के आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। मौके पर निर्मित अस्थाई लेबर टीन शेड हटाए जाने हेतु अण्डर टेकिंग लिया जावे। मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
3.	124.3	श्री बालचन्द अग्रवाल नायला हाउस के सामने मोती डूंगरी रोड, जयपुर के व्यावसायिक भवन मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 08.10.2012 को पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में आवेदक समिति के समक्ष उपस्थित हुये एवं उनका पक्ष सुना गया। तत्पश्चात् समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यह क्षेत्र जयपुर नगर निगम को ट्रांसफर किया जा चुका है। दिनांक 24.12.1992 में आवेदक व जयपुर विकास प्राधिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के

an

			अनुरूप यदि जयपुर नगर निगम भवन विनियमों में अनुमति देता है तो जविप्रा को आपत्ति नहीं है। पत्रावली जयपुर नगर निगम को ट्रांसफर की जावे।
4	124.4	खसरा संख्या 454 एवं 454/516, ग्राम-रामपुरा रूपा. टौक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग हेतु उपयोग के लिए लिया जावेगा एवं भवन हेतु विनियम 10.1 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. भूखण्ड के चारों ओर पुरानी चार दीवारी निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य सड़क की ओर आवेदक द्वारा 69'-6" X 13'-9" वर्ग फीट क्षेत्रफल एवं पार्श्व दिशा की सड़क (30'-0") की ओर 3'-3" X 96'-6" वर्गफीट क्षेत्रफल सड़क मार्गाधिकार में अतिक्रमित है। जिसके फलस्वरूप भूखण्ड के सामने मुख्य सड़क की चौड़ाई (160'-0" टौक रोड़) सड़क के मध्य बिन्दु से अपेक्षित 80'-0" के स्थान पर 66'-3" एवं भूखण्ड के पार्श्व दिशा में स्थित सड़क की चौड़ाई अपेक्षित 30'-0" के स्थान पर 23'-6" प्राप्त होती है। उक्त वर्णित भूखण्ड की मुख्य सड़क (टौक रोड़) एवं पार्श्व दिशा में स्थित सड़क की ओर मार्गाधिकार में अतिक्रमित भूमि का कब्जा विधिवत् रूप से उपायुक्त जोन द्वारा प्राप्त किया जावे। 3. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
5	124.5	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 5 व 6, डी. पी. कॉलोनी, मुख्य न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित बहुमंजिला व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेन्ट व खुले क्षेत्र पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग हेतु उपयोग के लिए लिया जावेगा एवं भवन हेतु विनियम 10.1 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट



			<p>लेवी ली जावें।</p> <p>4. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
6	124.6	ज्ञान विहार सुविधा क्षेत्र भूमि पार्ट-ए व पार्ट-बी में स्कूल भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूभाग-ए में स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. भूभाग-ए में मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लवी ली जावें। 3. भूभाग-ए बिना अनुमति निर्माण किये गये बेसमेन्ट व भूतल के लिए शास्ति ली जावें। 4. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भूभाग-ए व भूभाग-बी के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
7	124.7	भूखण्ड संख्या डी-252, हनुमान नगर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. खुले क्षेत्र पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग हेतु उपयोग के लिए लिया जावेगा एवं भवन हेतु विनियम 10.1 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
8	124.8	खसरा संख्या 799, 800 एवं 801/1, ग्राम-सिरसी, सिरसी रोड़, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर व बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग हेतु उपयोग के लिए लिया जावेगा एवं भवन हेतु विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में

			<p>भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है अतः पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>4. प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2012 के अनुक्रम में कुल प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत के बराबर निर्मित क्षेत्रफल अर्थात् 1485 वर्ग मीटर EWS वर्ग हेतु आरक्षित रखते हुए कुल 33 ईकाईयों उक्त EWS वर्ग हेतु प्रस्तावित की गई है जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रानुसार स्टिल्ट तल पर पार्श्व सेटबैक में 135.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में डबल हाईट 4 खम्भों के सहारे टिका हुआ वुडन पोर्च प्रस्तावित किया गया है, जो कि मात्र प्रस्तावित भवन की सौन्दर्य वृद्धि हेतु प्रस्तावित किया गया है। भवन विनियम 2010 के विनियम 9.11.2 के अनुसार पोर्च का आकार आवासीय भवनों में अधिकतम 18 वर्ग मीटर तथा चौड़ाई 3.0 मीटर से अधिक नहीं होगी। अतः प्रस्तावित वुडन पोर्च को गैर अनुमोदित किया जावे।</p> <p>6. आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रानुसार सभी बिल्डिंग ब्लॉक के टैरेस तल पर 3.0 मीटर ऊँचाई में पेरापेट वॉल के सहारे-सहारे परगोले प्रस्तावित किए गये है। भवन विनियम 2010 के विनियम 8.11 (iii) के अनुसार ऐसी संरचनाएँ जो भवन की सौन्दर्य वृद्धि हेतु निर्मित की जायें तथा जो 4.5 मीटर से अधिक ऊँची न हो, अनुज्ञेय की जा सकती है जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>7. मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>8. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
9	124.9	<p>पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 26 से 35, शिव शक्ति विहार, ग्राम-सुखिया, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर व अपर बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जायेगा एवं</p>

			<p>विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है। अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>4. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
10	124.10	भूखण्ड संख्या 155 व 156, श्रीराम विहार (महल) में प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>4. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
11	124.11	खसरा नम्बर 310 व 311, ग्राम-चकगैटोर, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित स्टुडियो पनाश के ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप फ्लैटस/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों में 15 प्रतिशत हरियाली क्षेत्र भूतल पर रखा जाना प्रस्तावित है। आवेदक द्वारा स्टिल्ट फ्लोर की छत पर हरियाली क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि वर्तमान में ग्राउण्ड फ्लोर के अतिरिक्त अन्य फ्लोर की छत पर हरियाली क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु भवन विनियम में संशोधन बाबत प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.10.2012 में रखा गया जिसका कार्यवाही विवरण अभी जारी नहीं हुआ है। अतः कार्यवाही विवरण प्राप्त होने पर प्रकरण का तदानुरूप परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जावे।</p>


12	124.12	खसरा नम्बर 785, 790, 791, ग्राम-जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग हेतु उपयोग के लिए लिया जावेगा एवं भवन हेतु विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 4. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
13	124.13	भूखण्ड संख्या 08, आवासीय फ्लैट योजना, ग्रीन त्रिवेणी, ग्राम नींदड, तहसील आमेर, सीकर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 4. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
14	124.14	भूखण्ड संख्या 116, कनक वृन्दावन रिसोर्ट्स प्रा.लि. ब्लॉक ए व बी, ग्राम-सिरसी, तहसील-जयपुर के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि निर्धारित शुल्क आदि जमा करवाने के पश्चात् प्रस्तावित आवासीय भवन के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे तथा नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी।</p>

15	124.15	<p>पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 20, 21 व 22, हाईटेक सिटी, अजमेर रोड, जयपुर (निजी खातेदारी) के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रिटल्ट फ्लोर व बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 4. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
16	124.16	<p>निजी खातेदारी संख्या 1176 ग्राम-भांकरोटा व ग्राम-हसमपुरावास के खसरा संख्या 300 से 302, 173 से 178 एवं 182 से 186 तहसील-सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित पुर्नगठित संस्थागत भवन (डीपीएस स्कूल) के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. मौके पर भूखण्ड में प्रशासनिक भवन, केन्टीन, क्लास रूम, चालक विश्रामगृह, गेस्टरूम, हॉस्टल टाईप-1 से टाईप-3, हॉस्टल टाईप-3ए, किचन कम डाईनिंग, लॉन्ड्री, मल्टीपरपज हॉल, प्रिन्सीपल निवास, स्टेडियम, सीनियर क्लास रूम, मीटर रूम व गेट हाउस एवं प्लान्ट रूम का निर्माण बिना अनुमति प्रस्तुत भवन मानचित्रानुसार किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में दिनांक 22.05.2012 को उप शासन सचिव-तृतीय द्वारा आदेश पारित किये गये कि "पुर्नगठन शुल्क लिये जाने के विवाद के चलते आवेदक को भवन मानचित्र स्वीकृत कर जारी नहीं किये गये थे। जब आवेदक ने भवन मानचित्र अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये थे, उस समय बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड लागू नहीं था। इस कारण प्रकरण में बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड देय नहीं है व प्रकरण में आवेदक के बिना अनुमति निर्माण की पैनल्टी

			<p>वसूल नहीं की जावे। केवल नियमानुसार भवन निर्माण शुल्क आदि ही वसूल किया जावे।" अतः राज्य सरकार से प्राप्त आदेश के अनुसार बिना अनुमति निर्माण शास्त्र नहीं ली जावे।</p> <p>3. मौके पर आवेदक द्वारा प्रस्तावित ग्रीन कॉरीडोर में गेट हाउस/गार्डरूम, बाउण्ड्रीवाल एवं मीटर रूम निर्मित किये जा चुके हैं, जिसके सम्बन्ध में आवेदक से अण्डरटेकिंग लिया जावे कि वह इसका उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं करेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार इस हटवा देगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में सदस्य सचिव (बीपीसी) द्वारा दिनांक 29.11.2002 को प्रेषित पत्र के अनुक्रम में आवेदक द्वारा मुख्य अजमेर रोड़ पर 20' चौड़ी भू-पट्टी निःशुल्क जविप्रा को पार्किंग प्रयोजनार्थ समर्पित किये जाने हेतु दिनांक 05.08.2005 को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की जा चुकी है। उक्त समर्पित भू-पट्टी पर आवेदक द्वारा पब्लिक पार्किंग का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका विधिवत कब्जा जोन द्वारा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है एवं समर्पित भू-पट्टी के अतिरिक्त शेष ग्रीन कॉरीडोर से आवेदक द्वारा प्रस्तावित पार्किंग हटा ली गई है जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>4. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
17	124.17	भूखण्ड संख्या 1, सनसिटी, ग्राम-नीदड़, सीकर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित संस्थागत भवन स्कूल के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. खुले क्षेत्र पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
18.	124.18	खसरा नम्बर 351, 352, 353 व भूखण्ड संख्या 14, 15, 16 व दुकान नम्बर 24, 25, सुदामापुरी-प्रथम, ग्राम-हरमाड़ा, सीकर रोड़, जयपुर के	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, लाईसेन्सिंग एवं लिगल सेल जयपुर, एक्सप्लोसिव विभाग फरीदाबाद व मुख्य अग्निशमन अधिकारी

		पैट्रोल पम्प (बी.पी.सी.) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	से प्राप्त अनापत्ति की शर्तों की पालना की जानी होगी। 2. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
19.	124.19	भूखण्ड संख्या 128, कनक वृन्दावन (ए-बी ब्लॉक) निजी खातेदारी योजना में आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये :- 1. बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. मानक एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 3. नियमानुसार समस्त देय राशि जमा करवानी होगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति बिल्डिंग प्लान की 124वीं बैठक दिनांक 30.10.2012 को प्रातः 11.15 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री कुलदीप रांका, आयुक्त जविप्रा जयपुर। अध्यक्ष
2. श्री जे.बी. जाखड, निदेशक आयोजना जविप्रा जयपुर। सदस्य
3. श्री अनिल पथरिया, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी, जविप्रा, जयपुर। सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित:-

4. श्री केशर लाल मीणा, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री हरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-12, जविप्रा जयपुर।
6. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि./बीपीसी/2012/डी- 2219
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक:- 07/11/2012

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/एलपीसी/भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)